भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 203
जिसका उत्तर शुक्रवार, 2 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

नोटरी का नवीनीकरण

203. श्री एंटो एन्टोनी :
क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार के पास देश में केन्द्र सरकार के नोटरियों के संबंध में कोई आंकडे हैं ;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;
(ग) क्या सरकार की नोटरियों के केन्द्रीय कोटे में वृद्धि करने की कोई योजना है ;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ;
(ङ) क्या नोटरी लाइसेंस के नवीकरण के लिए सरकार के समक्ष कोई आवेदन लंबित हैं ; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : नोटरियों की अधिकांश संख्या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है, जिनके राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैः-

क्र.सं.	राज्य	केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नोटरियों की अधिकाश संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1700
2	असम	575
3	बिहार	925
4	गुजरात	8000
5	केरल	1750
6	मध्य प्रदेश	1650
7	तमिलनाडु	4700
8	महाराष्ट्र	8000
9	कर्नाटक	3500
10	ओड़ीसा	750
11	पंजाब	2000
12	राजस्थान	4500
13	उत्तर प्रदेश	5150
14	पश्चिमी बंगाल	600
15	जम्मू - कश्मीर	350
16	नागालैंड	200
17	हरियाणा	2000
18	हिमाचल प्रदेश	400

19	मणिपुर	225
20	त्रिपुरा	100
21	मेघालय	175
22	सिक्किम	100
23	मिजोरम	200
24	अरुणाचल प्रदेश	325
25	गोवा	150
26	उत्तरांचल	325
27	छत्तीसगढ़	900
28	झारखंड	450
29.	तेलंगाना	1000
30	दिल्ली	1600
31	अंदमान और निकोबार द्वीप	50
32	लक्षद्वीप	25
33	दादरा और नागर हवेली	25
34	दमण और दीव	50
35	पुडुचेरी	250
36	चंडीगढ़	200
37	लद्दाख	50

(ग) : जी, नही ।

(घ) : प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(ङ) और (च) : नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 5 की उपधारा(2) में अंतर्विष्ट निबंधनों के अनुसार नोटरी को जारी किए गए व्यवसाय के प्रमाण पत्र का प्रत्येक पांच वर्ष में नवीकरण किया जाना अपेक्षित है । यह एक सतत् प्रक्रिया है और शीघ्रता से नवीकरण के लिए सभी ऐसे आवदनों के निपटान का प्रयास किया गया है ।

****